



अनुबंध II

वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश / प्रधान कार्यालय को प्रेषित लाभ का विवरण

बैंक का नाम: _____

लेखा अवधि *	लेखा अवधि के लिए निवल लाभ (₹ करोड़)	लाभांश भुगतान अनुपात निर्धारित करने के लिए निवल लाभ# (₹ करोड़)	लाभांश की दर (प्रतिशत)	लाभांश की राशि (₹ करोड़) अथवा प्रधान कार्यालय को प्रेषित लाभ / अधिशेष की राशि और लागू विनिमय दर	लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत) अथवा शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में प्रधान कार्यालय को प्रेषित लाभ / अधिशेष

*तिमाही या छमाही या वर्ष समाप्त, जैसा भी मामला हो #

#किसी भी असाधारण और / या विशेष लाभ / आय को छोड़कर, या यदि सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट में संशोधित राय शामिल है जो निवल लाभ के अतिशयोक्ति को दर्शाती है, स्तर 3 लिखतों के उचित मूल्यांकन पर निवल अवास्तविक लाभ, अतिरिक्त प्रावधान की वापसी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों और प्रतिभूति रसीदों के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न अवास्तविक लाभ (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 में प्रदान किया गया है)।

‘लाभांश भुगतान अनुपात’ का अर्थ उस वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों (अंतरिम लाभांश सहित) पर देय लाभांश की राशि और उस वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल लाभ के अनुपात से है जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है।